(6)

कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष, राज्य औद्यानिक मिशन की अध्यक्षता में कार्य परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 02–08–2006 की कार्यवृत्ति

एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
1. राज्य औद्यानिक मिशन कार्य परिषद की दि0 27.03.2006 को आयोजित तृतीय बैठक के कार्यवृत्ति के अनुपालन पर अनुमोदन	राज्य औद्यानिक मिशन कार्य परिषद की बैठक दिनांक 27.03.2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन पर अनुमोदन।	कार्यवृत्ति अनुमोदित।
2.पौध रोपण सामग्री हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 3895/58–2005–29/2005, टी0सी0–1, दिनांक 10.11.2005 में विचलन करने हेतु सहमति प्रदान किये जाने पर विचार।	राज्य औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत बीज एवं पौध रोपण सामग्री की आपूर्ति/क्रय स्थानीय आवश्यकता के अनुसार जिला औद्यानिक मिशन कमेटी द्वारा किये जाने का प्राविधान शासनादेश संख्या 3895/ 58–2005–29/2005, टी0सी0–1, दिनांक10.11.2005 द्वारा किया गया है। इस संबंध में कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के दौरान यह देखने में आ रहा है कि प्रत्येक मिशन जनपद में उक्त के संबंध में प्रोक्योरमेण्ट आदि की प्रक्रिया के फलस्वरुप बीज एवं रोपण सामग्री की दरों एवं गुणवत्ता में भिन्नता है। इसके कारण मिशन के मूल उददेश्यों (यथा भारत सरकार के मानक के अनुसार श्रोतों की विश्वसनीयता का परीक्षण करते हुये बीज/रोपण सामग्री की उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखते हुये गुणवत्ता एवं दरों में एकरुपता कायम रखना) का अनुपालन नहीं हो पा रहा है एवं अलग–अलग जनपदों में एक समान दर एवं भारत सरकार के रोपण सामग्री के मानकों के आधार पर बीज एवं रोपण सामग्री पूरे प्रदेश में क्रय नहीं हो पा रही है। अतएव मानक के अनुसार रोपण सामग्री की गुणवत्ता एवं समय की अपरिहार्यता को देखते हुये मिशन निदेशालय स्तर से भारत सरकार के मानकों को पूर्ण करने वाली पौधशालाओं का चिन्हींकरण करते हुये आवश्यकतानुसार सभी जनपदों के लिये पौध रोपण सामग्री की व्यवस्था करने हेतु शासनादेश दिनांक 10.11.2005 में आंशिक विचलन की आवश्यकता होगी। कृपया कार्य परिषद सहमति प्रदान करना चाहें।	प्रस्ताव का कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला औद्यानिक मिशन स्तर से पौध रोपण सामग्री की व्यवस्था कराये जाने का निर्णय लिया गया।
3.मार्डन टर्मिनल मार्केट हेतु मण्डी परिषद से स्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त किये जाने पर विचार	कार्य परिषद की दिनांक 27.03.2006 को सम्पन्नित तृतीय बैठक में निर्णय लिया गया था कि मण्डी परिषद अप्रैल, 2006 के प्रथम सप्ताह तक मार्डन टर्मिनल मार्केट के निर्माण (जो क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड सब्सिडी आधारित कार्यक्रम है) के संबंध में निर्णय लेकर उसके अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने का स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा तदुपरान्त उक्त कार्य की भारत सरकार से सहमति प्राप्त कर ली जाये। उपरिसदर्भित निर्णय की सूचना मन्डी परिषद को	मण्डी परिषद से अपेक्षा की गई कि औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्डन टर्मिनल मार्केटस के निर्माण के प्रस्ताव को एक्सेप्शनल केस के रूप में

एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
.	कार्यवृत्त की प्रति के साथ पत्रांक 172–87 दिनांक 28.04.2006 द्वारा प्रेषित कर दी गयी थी। तदोपरान्त पुनः अनुस्मारक (पत्रांक 238, 749–50 दिनांक 12.05.2006, 21.06.2006) भी प्रेषित किया गया परन्तु मण्डी परिषद द्वारा मार्डन टर्मिनल मार्केट के निर्माण हेतु स्पष्ट प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त है। गतिविधि / सं0 / अनुमन्य अनुदान ❑ मार्डन टर्मिनल / होल सेल मार्केट नोएडा — 01 — 20 करोड़ दुबग्गा–लखनऊ — 01 — 10 करोड़ ❑ विशिष्ट पुष्प बाजार (लखनऊ, आगरा, कानपुर) — 03 — 3 करोड़ ❑ विद्यमान आम की 10 मण्डियों में फंक्सनल — 10 — 25 लाख ❑ इन्फ्रास्ट्रक्चर फार कलेक्सन एण्ड ग्रेडिंग कुल — 33.25 करोड़ कृपया कार्य परिषद अवगत होना चाहें।	लेते हुए यथाशीघ्र मण्डी परिषद द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।
4.उपकार के माध्यम से परामर्शी संस्था नामित करने तथा चिन्हित संस्था द्वारा प्रस्तावित परामर्शी शुल्क पर विचार।	कार्यपरिषद की तृतीय बैठक दिनांक 27.03.2006 में लिये गये निर्णय के अनुसार महानिदेशक उपकार की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई थी जिसे डिसीज फोर कास्टिंग इकाई, प्लान्ट हेल्थ क्लीनिक, लीफ टिशू एनालिसिस लैब, बायोकन्ट्रोल लैब, माडल पौधशाला की स्थापना, मेंथा आसवन इकाई, हल्दी क्योरिंग केन्द्र तथा संग्रहण, ग्रेडिंग आदि के लिये प्रायोगिक बुनियादी ढाचा की स्थापना के प्रोजेक्ट (डिजाइन,कास्टिंग सहित) तैयार कराये जाने हेतु परामर्शी संस्था चिन्हित करना था। गठित उप समिति द्वारा विभिन्न संस्थाओं से बैठकें आयोजित कर संस्थायें चिन्हित करने की कार्यवाही कर ली गयी है जिनका विवरण प्रस्तुत है।,परन्तु प्रश्नगत कार्यो हेतु चिन्हित परामर्शी संस्थाओं द्वारा प्रोजेक्ट लागत का क्रमशः 20 प्रतिशत (प्रथम इकाई हेतु) तथा 10 प्रतिशत (उसके बाद की प्रस्तावित इकाइयों हेतु) परामर्शी शुल्क की मांग की गयी है, जो काफी अधिक प्रतीत होती है। उपरोक्त पर समिति द्वारा विचार किया जाना निवेदित है।	कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद अपने स्तर से सम्बन्धित संस्थाओं से विचार विमर्श कर परामर्शी शुल्क 10 प्रतिशत की सीमा तक सीमित रखे एवं तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(4)

<table>
<tr><th>एजेण्डा</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td></td><td>

गतिविधि	लक्ष्य	कुल	परामर्शी शुल्क (लाख)		
			प्रथम इकाई @20%	बाद की इकाई @10%	कुल
प्लान्ट हेल्थ क्लीनिक	01	20	4	-	4.00
लीफ टिश्यू एनालिसिस लैब	01	20	4	-	4.00
बायो कन्ट्रोल लैब	01	80	16	-	16.00
माडल नर्सरी	05	90	3.6	7.2	10.80
मेंथा आसवन इकाई (छोटी)	100	125	0.25	12.38	12.63
मेंथा आसवन इकाई (बड़ी)	2	10	1	0.50	1.50
हल्दी क्योरिंग इकाई	05	3.65	0.15	0.29	0.44
कलेक्शन / ग्रेडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर	10	25	0.50	2.25	2.75
योग	**125**	**373.65**	**29.50**	**22.62**	**52.12**

कृपया उपरोक्त इकाइयों पर प्रस्तावित परामर्शी शुल्क दिये जाने पर कार्य परिषद विचार करना चाहें।</td><td></td></tr>
<tr><td>5.मिशन के अर्न्तगत चयनित 26 जनपदों में विकास खण्ड, जनपद एवं मण्डल स्तर पर मिशन सहायकों को संविदा पर रखे जाने का अनुमोदन।</td><td>राज्य औद्यानिक मिशन में संविदा पर कार्मिकों को रखे जाने हेतु भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2005–06 में निम्नानुसार संख्या में विभिन्न स्तरो हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी है।

अनुमानित व्यय लाख रू0
1. विकास खण्ड स्तर पर – 26 जनपद x 8 ब्लाक= 208 कार्मिक — 75.71
2. जनपद स्तर – 26 जनपद = 26 कार्मिक — 9.46
3. मण्डल स्तर – 11 मण्डल = 11 कार्मिक — 4.00
योग = 245 **कार्मिक** — **89.17**

इनमें से कार्यपरिषद की विगत सम्पन्नित बैठक दिनांक 27.03.2006 में लिये गये</td><td><s>प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से</s> संविदा पर कार्मिकों को रखने हेतु सैद्धान्तिक सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि इनकी नियुक्ति पर आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए मंत्री परिषद की सहमति प्राप्त कर ली जाये।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>एजेण्डा</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td></td><td>निर्णयानुसार निदेशालय स्तर पर संविदा पर 5 कार्मिकों को रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

राज्य औद्यानिक मिशन कार्यपरिषद की प्रथम आहूत बैठक दिनांक 03.10.2005 में लिये गये निर्णय के अनुसार मिशन के कार्यक्रमों के संचालन हेतु विकास खण्ड स्तर पर कृषि विभाग में कार्यरत किसान सहायकों से कार्य लेने हेतु शासन के अर्द्धशा0प0सं0 3872/58-2005-29/2005, टी0सी0-1, दिनांक 10.11.2005 द्वारा प्रमुख सचिव कृषि, उत्तर शासन से निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी थी जिसमें अभी तक कृषि विभाग द्वारा कोई आदेश निर्गत न हो सकने के कारण विकास खण्ड स्तर पर मिशन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्टाफ की कमी के कारण सुचारु रुप से नहीं चल पा रहा है।

प्रदेश में औद्यानिक विकास कार्यो के क्रियान्वयन, निवेशों के वितरण, तकनीकों के प्रचार-प्रसार एवं परिणामों के डाक्यूमेन्टेशन हेतु विकास खण्ड स्तर पर कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं है एवं जनपद तथा मण्डल स्तर पर मिशन कार्यो के क्रियान्वयन, अनुश्रवण, सत्यापन, तकनीकी मार्गदर्शन तथा भारत सरकार के निर्धारित रुपपत्र पर सूचना भेजने हेतु स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुये **संविदा** पर कार्मिकों को रखा जाना मिशन के कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में सहायक/लाभकारी होगा।

अतएव विकास खण्ड/जनपद/मण्डल स्तर पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं अभिलेखों के डाक्यूमेन्टेशन हेतु उपरिवर्णित संख्या के अनुसार कार्मिकों को संविदा पर रखे जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में मिशन जनपदों के जिला औद्यानिक मिशन अध्यक्ष/जिलाधिकारी तथा जिला उद्यान अधिकारी द्वारा भी निरन्तर अनुरोध किया जाता रहा है।

अतएव कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए विकास खण्ड, जनपद एवं मण्डल स्तर पर संविदा पर 245 कार्मिकों को रखे जाने का अनुमोदन प्रदान करना चाहें। इस निमित्त मिशन मैनेजमेन्ट मद में धनराशि उपलब्ध है।</td><td></td></tr>
<tr><td>6.मिशन मुख्यालय पर 3 वाहन क्रय किये जाने पर विचार</td><td>राज्य औद्यानिक मिशन, उ0प्र0 हेतु स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार मिशन प्रबन्धन के अर्न्तगत 3 वाहन क्रय किये जाने हेतु विगत सम्पन्नित कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.03.2006 में यह निर्णय लिया गया था कि क्रय की जाने वाली गाड़ियों का विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये। इस क्रम में कार्य समिति को अवगत कराना है कि प्रस्तावित वाहनों के आगणन प्राप्त कर लिये गये हैं जिसपर कुल धनराशि रू0 10.57 लाख का व्यय अनुमानित है। उल्लेखनीय</td><td>कार्य परिषद द्वारा सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि वित्त विभाग से राय प्राप्त कर क्रय की अग्रिम कार्यवाही की जाये।</td></tr>
</table>

एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
	है कि मुख्यालय स्तर पर वाहन चालक उपलब्ध हैं जिनकी सेवायें मिशन कार्यों में लिया जाना मितव्ययता के दृष्टि से उपयोगी होगा। यदि उक्तानुसार 3 वाहन की व्यवस्था किराये पर की जाये तो औसतन रू0 15 हजार प्रतिमाह प्रति वाहन की दर से लगभग रू0 5.40 लाख प्रति वर्ष व्यय होगा। जबकि नए क्रय किये गये वाहन आगामी कई वर्षो तक औद्यानिक विकास कार्यो के संचालन में सहयोगी हो सकेंगे। अतः कार्य परिषद कृपया तीन वाहन क्रय हेतु सहमति प्रदान करने पर विचार करना चाहें।	जाये।
7.मिशन योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों को परियोजना सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर विचार	राज्य औद्यानिक मिशन के अर्न्तगत विभिन्न वर्ग के कुल 26 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती अपने पटल के विभागीय एवं अन्य परियोजनाओं के कार्यो के साथ–साथ राज्य औद्यानिक मिशन के कार्यो हेतु नामित किया गया है जिनके द्वारा मिशन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने हेतु कार्यालय समय के उपरान्त एवं अवकाश के दिनों में भी कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यालय आना होता है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य कार्यो को निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण करने हेतु प्रायः निजी दूरभाष एवं निजी वाहनों का प्रयोग करना पडता है जिससे उनका आर्थिक व्यय भार बढ़ जाता है। मिशन में नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप अपने कार्यो को सफलतापूर्वक सम्पादित करने हेतु मिशन मैनेजमेन्ट मद से निम्नलिखित प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है। 1. प्रत्येक मिशन कार्मिक को मिशन मैनेजमेन्ट मद से संचार व्यय हेतु अधिकतम धनराशि रू0 500/– की सीमा तक प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है जिसपर प्रतिवर्ष लगभग रू0 1.56 लाख व्यय अनुमानित है। 2. प्रत्येक मिशन कार्मिक को मिशन मैनेजमेन्ट मद से मोबिलिटी हेत अधिकतम रू0 1500/– प्रति कार्मिक प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है जिसपर प्रतिवर्ष लगभग 4.68 लाख व्यय अनुमानित है। माननीय कार्य परिषद से उपरोक्तानुसार स्वीकृति निवेदित है।	कार्य परिषद द्वारा सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि वित्त विभाग से राय प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाये।
8.अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु	1. राज्य औद्यानिक मिशन, उ0प्र0 की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2006–07 धनराशि रू0 13604.29 लाख भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी। जिसे भारत सरकार के स्तर पर दिनांक 28–06–2006 को सम्पन्नित राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन कार्यपरिषद की बैठक में समीक्षा उपरान्त पत्रांक 33–21/2005, दिनांक 06.07.2006 द्वारा रू0 123.98 करोड़ की सैद्धान्तिक	वार्षिक कार्य योजना 2006–07 का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
	सहमति प्रदान की गई है। इस क्रम में भारत सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है। कार्य परिषद से वर्ष 2006–07 हेतु भारत सरकार को प्रेषित राज्य औद्यानिक मिशन की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन निवेदित है।	
	2. औद्यानिक मिशन के लिये प्रस्तावित 2006–07 की कार्य योजना के ऐसे कार्यक्रमों को चिन्हित कर लिये जाये जो इस वर्षा काल में सम्पन्न कराये जाने हैं। इन कायक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2005–06 के अवशेष धनराशि से सम्पन्न कराने हेतु भारत सरकार की औपचारिक सहमति प्राप्त कर ली जाये। भारत सरकार से वर्ष 2006–07 हेतु धनराशि अवमुक्त हो जाने पर वर्ष 2005–06 की अवशेष धनराशि से उक्तानुसार सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों की धनराशि की प्रतिपूर्ति कर ली जाय।	कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
	3. अध्यक्ष महोदय द्वारा धीमी वित्तीय प्रगति पर चिन्ता व्यक्त करते हुये 2005–06 के अबशेष एवं 2006–07 के प्रस्तावित पौध रोपण कार्यक्रमों को अभियान के रुप में सितम्बर 2006 तक कम से कम 70 प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जायें।	कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
	4. कार्यक्रमों की साप्ताहिक समीक्षा प्रमुख सचिव उद्यान के स्तर से, पाक्षिक समीक्षा अध्यक्ष/कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के स्तर से प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित किया गया।	कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
	5. प्रदेश में टिशूकल्चर केला पौध उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि विश्व विद्यालयों/संस्थाओं के वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण पर विचार किया जाना प्रस्तावित किया गया।	कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
	6. प्रगतिशील कृषक कर्नल एस0एन0 सिंह के सुझाव पर प्रदेश में पुष्प उत्पादक कृषकों का एक संघ बनाये जाने का प्रस्ताव आया एवं ग्लैडियोलस के कार्मलेट्स के आयात में उद्यान विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया।	कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
	7. प्रदेश के समस्त कृषि विश्वविद्यालयों के साथ बैठक आयोजित कर मिशन के उन कार्यक्रमों को चिन्हित कर लिया जाये जिसका लाभ विश्वविद्यालय उठा सके।	कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुयी और लिये गये निर्णयों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये।